उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 17

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	51.65	117981.14	118032.79	124.75	125000.00	125124.75	93.36	140400.00	140493.36	100.00	139998.40	140098.40
पूंजी	***88.92***	...	*88.92*	*87.25*	...	*87.25*	*71.64*	...	*71.64*	*50.00*	*1.60*	*51.60*
जोड़	**140.57**	**117981.14**	**118121.71**	**212.00**	**125000.00**	**125212.00**	**165.00**	**140400.00**	**140565.00**	**150.00**	**140000.00**	**140150.00**
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 3451	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	51.85	51.85
2. राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर 2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	22.39	22.39
4408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.60	1.60
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*23.99*	*23.99*
3. खाद्य सब्सिडी												
3.01 खाद्य सब्सिडी 2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	134834.61	134834.61
3.02 भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम 6408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10000.00	10000.00
3.03 एफसीआई को अर्थोपाय अग्रिम का भुगतान 6408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-10000.00	-10000.00
कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*134834.61*	*134834.61*
4. आंतर राज्य आवाजाही, खाद्यान्नों की व्यवस्था तथा एनएफएसए के अंतर्गत एफपीएस डीलरों की मार्जिन पर व्यय पूरा करने के लिए सहायता 2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	76.00	76.00
3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2200.00	2200.00
3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	224.00	224.00
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*2500.00*	*2500.00*
5. खाद्य तेलों के आयात पर सब्सिडी - पिछली देनदारियां 2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	567.01	567.01
6. चीनी उद्योग का विकास												
6.01 चीनी विकास निधि को अंतरण 2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2000.00	2000.00
6.02 एसडीएफ से वित्तपोषित योजनाएं												
6.02.01 चीनी उपक्रमों/एसडीएफ के अन्य व्यय के लिए वित्तीय 2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	21.60	21.60

(करोड़ रुपए)

		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	सहायता													
6.02.02	चीनी मिलों के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण हेतु ऋण	6860	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	150.00	150.00
6.02.03	गन्ना विकास हेतु चीनी मिलों को ऋण	6860	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75.00	75.00
6.02.04	बागासी आधारित सहसृजन विद्युत परियोजना के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	200.00	200.00
6.02.05	अल्कोहोल से निर्जलीय अल्कोहोल अथवा इथनोल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण	6860	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	125.00	125.00
6.02.06	चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने की योजना (सेफासु 2014)	2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	800.00	800.00
6.02.07	कच्ची चीनी उत्पादन के लिए विपणन और संवर्धन सेवाओं हेतु प्रोत्साहन	2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30.00	30.00
6.02.08	चीनी मिलों को किफायती ऋण देने की योजना पर ब्याज माफी, 2015	2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	202.50	202.50
6.02.09	गन्ना लागत प्रतिसंकुलित करने और किसानों देय गन्ना मूल्य के समय पर भुगतान हेतु चीनी मिलों को उत्पादन सब्सिडी	2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	950.01	950.01
6.02.10	चीनी विकास निधि से पूरा किया गया	2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-2004.11	-2004.11
		6860	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-550.00	-550.00
		जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*-2554.11*	*-2554.11*
		कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़- चीनी उद्योग का विकास		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*2000.00*	*2000.00*
7.	भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण तथा खाद्य भंडारण के अन्य कार्यक्रम	2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18.00	22.54	40.54
8.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का सुदृढ़ीकरण	2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.40	...	2.40
		2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25.39	...	25.39
		3456	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.57	...	4.57
		3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	47.13	...	47.13
		3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.51	...	0.51
		जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*80.00*	...	*80.00*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
9. भंडार और भंडारगृह	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*52.00*	...	*52.00*
सं.अ. 2015-2016													
10. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	...	37.87	37.87	...	42.22	42.22	...	42.20	42.20	...	...	...
खाद्य, भंडारण और भांडागारण													
11. खाद्य सब्सिडी													
11.01 खाद्य सब्सिडी	2408	...	57295.35	57295.35	...	59500.00	59500.00	...	59500.00	59500.00	...	...	...
11.02 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रावधान	2408	...	60375.81	60375.81	...	64919.00	64919.00	...	79919.00	79919.00	...	...	...
जोड़- खाद्य सब्सिडी		...	*117671.16*	*117671.16*	...	*124419.00*	*124419.00*	...	*139419.00*	*139419.00*	...	...	...
12. चीनी के बफर स्टाक के अनुरक्षण पर सब्सिडी	2408	...	4.94	4.94	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	...	...
13. चीनी के निर्यात लदान हेतु चीनी मिलों को आंतरिक परिवहन एवं भाड़ा शुल्क की प्रतिपूर्ति	2408	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
14. खाद्य तेलों के आयात से संबद्ध सब्सिडी	2408	...	...	...	...	...	...	...	150.00	150.00	...	...	...
15. चीनी उपक्रम को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना, 2014	2408	...	703.77	703.77	...	800.00	800.00	...	800.00	800.00	...	...	...
16. कच्ची चीनी के उत्पादन के लिए विपणन और प्रोन्नति सेवाओं पर प्रोत्साहन	2408	...	183.87	183.87	...	...	...	...	200.00	200.00	...	...	...
17. चीनी मिलों को किफायती ऋण देने की योग्यता पर ब्याज माफी, 2015	2408	...	...	...	...	...	...	...	202.50	202.50	...	...	...
18. चीनी उद्योग के विकास से संबद्ध अन्य व्यय	2408	...	21.22	21.22	...	22.54	22.54	...	21.34	21.34	...	...	...
19. चीनी विकास निधि													
19.01 को अंतरण	2408	...	250.00	250.00	...	500.00	500.00	...	750.00	750.00	...	...	...
19.02 से	2408	...	-913.79	-913.79	...	-825.55	-825.55	...	-1226.84	-1226.84	...	...	...
	6860	...	-396.45	-396.45	...	-500.00	-500.00	...	-457.57	-457.57	...	...	...
	जोड़	...	*-1310.24*	*-1310.24*	...	*-1325.55*	*-1325.55*	...	*-1684.41*	*-1684.41*	...	...	...
	कुल	...	*-1060.24*	*-1060.24*	...	*-825.55*	*-825.55*	...	*-934.41*	*-934.41*	...	...	...
20. खाद्य , भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम													
20.01 खाद्य , भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम	2408	15.23	17.49	32.72	30.85	20.22	51.07	15.85	17.92	33.77	...	...	...
	3601	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*20.23*	*17.49*	*37.72*	*30.85*	*20.22*	*51.07*	*15.85*	*17.92*	*33.77*	...	...	...
20.02 राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर	2408	0.25	16.23	16.48	0.25	18.56	18.81	0.25	18.09	18.34	...	...	...
	4408	2.08	...	2.08	2.25	...	2.25	3.25	...	3.25	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़		*2.33*	*16.23*	*18.56*	*2.50*	*18.56*	*21.06*	*3.50*	*18.09*	*21.59*	...	...	...
जोड़- खाद्य , भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम		*22.56*	*33.72*	*56.28*	*33.35*	*38.78*	*72.13*	*19.35*	*36.01*	*55.36*	...	...	...
21. भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम													
21.01 अर्थोपाय अग्रिम	6408	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	20000.00	20000.00	...	...	...
21.02 घटाएं : प्राप्तियां	6408	...	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-20000.00	-20000.00	...	...	...
कुल		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-खाद्य, भंडारण और भांडागारण		**22.56**	**117558.44**	**117581.00**	**33.35**	**124457.78**	**124491.13**	**19.35**	**139897.44**	**139916.79**	**...**	**...**	**...**
नागरिक आपूर्ति													
22. खाद्यान्न प्रबंधन का विकास, मानीटरिंग और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	3456	0.49	...	0.49	1.02	...	1.02	0.82	...	0.82	...	...	...
	3601	0.36	...	0.36	0.57	...	0.57	0.53	...	0.53	...	...	...
	3602	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
जोड़		*0.85*	...	*0.85*	*1.60*	...	*1.60*	*1.35*	...	*1.35*	...	...	...
23. टीपीडीएस संचालनों का एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण	3456	2.08	...	2.08	4.93	...	4.93	4.30	...	4.30	...	...	...
	3601	29.60	...	29.60	63.82	...	63.82	47.55	...	47.55	...	...	...
	3602	1.40	...	1.40	1.25	...	1.25	0.12	...	0.12	...	...	...
जोड़		*33.08*	...	*33.08*	*70.00*	...	*70.00*	*51.97*	...	*51.97*	...	...	...
जोड़-नागरिक आपूर्ति		**33.93**	**...**	**33.93**	**71.60**	**...**	**71.60**	**53.32**	**...**	**53.32**	**...**	**...**	**...**
उपभोक्ता उद्योग													
24. सरकारी उद्यमों में निवेश	4408	86.84	...	86.84	10.00	...	10.00	...	...	...	...	...	...
25. चीनी कारखानों का सुधार/ आधुनिकीकरण	6860	...	200.00	200.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	...	...
26. गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	72.93	72.93	...	75.00	75.00	...	30.74	30.74	...	...	...
27. बगैस आधारित-सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	46.45	46.45	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	...	...
28. एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथनाल के उत्पादन के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	77.07	77.07	...	75.00	75.00	...	76.83	76.83	...	...	...
जोड़-उपभोक्ता उद्योग		**86.84**	**396.45**	**483.29**	**10.00**	**500.00**	**510.00**	**...**	**457.57**	**457.57**	**...**	**...**	**...**
29. गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करना	2408	2.72	...	2.72	5.00	...	5.00	3.50	...	3.50	...	...	...
खाद्य, भंडारण और भांडागारण													
30. राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य खाद्य आयोग को नॉन बिल्डिंग के लिए सहायता	2408	...	...	...	0.28	...	0.28	...	...	...	...	...	...
	3601	...	...	...	1.16	...	1.16	0.75	...	0.75	...	...	...
	3602	...	...	...	0.12	...	0.12	...	...	...	...	...	...
जोड़		...	...	...	*1.56*	...	*1.56*	*0.75*	...	*0.75*	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015 आयोजना	वास्तविक 2014-2015 आयोजना-भिन्न	वास्तविक 2014-2015 जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	बजट 2015-2016 आयोजना-भिन्न	बजट 2015-2016 जोड़	संशोधित 2015-2016 आयोजना	संशोधित 2015-2016 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2015-2016 जोड़	बजट 2016-2017 आयोजना	बजट 2016-2017 आयोजना-भिन्न	बजट 2016-2017 जोड़
31. आंतरराज्य आवाजाही, खाद्यान्नों की व्यवस्था तथा एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलरों की मार्जिन पर व्यय पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्यों को सहायता	2408	...	...	...	...	...	...	...	1.00	1.00	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	...	1.78	1.78	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	*2.79*	*2.79*	...	...	...
जोड़-खाद्य, भंडारण और भांडागारण		**...**	**...**	**...**	**1.56**	**...**	**1.56**	**0.75**	**2.79**	**3.54**	**...**	**...**	**...**
32. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	15.49	...	15.49	19.69	...	19.69	...	...	...
	4552	...	...	...	75.00	...	75.00	68.39	...	68.39	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*90.49*	...	*90.49*	*88.08*	...	*88.08*	...	...	...
33. वास्तविक वसूलियां	2408	...	-11.58	-11.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3451	...	-0.04	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	-5.48	...	-5.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*-5.48*	*-11.62*	*-17.10*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***140.57***	***117981.14***	***118121.71***	***212.00***	***125000.00***	***125212.00***	***165.00***	***140400.00***	***140565.00***	***150.00***	***140000.00***	***140150.00***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
18.01 भारतीय खाद्य निगम	12408	86.84	...	86.84	10.00	...	10.00	...	...	...	...	...	...
18.02 केंद्रीय भांडागारण निगम	12408	...	110.37	110.37	...	608.52	608.52	...	180.84	180.84	...	190.04	190.04
18.03 भारतीय खाद्य निगम	22552	...	...	...	75.00	...	75.00	68.39	...	68.39	50.00	...	50.00
जोड़		**86.84**	**110.37**	**197.21**	**85.00**	**608.52**	**693.52**	**68.39**	**180.84**	**249.23**	**50.00**	**190.04**	**240.04**
ग. योजना परिव्यय													
1. खाद्य, भंडारण तथा भांडागारण	12408	112.12	110.37	222.49	49.91	608.52	658.43	23.60	180.84	204.44	20.40	190.04	210.44
2. नागरिक आपूर्ति	13456	28.45	...	28.45	71.60	...	71.60	53.32	...	53.32	52.21	...	52.21
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	90.49	...	90.49	88.08	...	88.08	77.39	...	77.39
जोड़		**140.57**	**110.37**	**250.94**	**212.00**	**608.52**	**820.52**	**165.00**	**180.84**	**345.84**	**150.00**	**190.04**	**340.04**

1. **सचिवालय व्यय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर:** इसमें प्रशिक्षण (राष्ट्रीय शर्करा संस्थान से संबंधित स्थापना व्यय) एवं राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में किण्वन और आसवन इकाई तथा विश्लेषणात्मक उपकरणों को स्थापित करने के लिए प्रावधान शामिल है।

3.01. **खाद्य सब्सिडी:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए आवंटन सहित खाद्य राजसहायता का मदवार आवंटन इस प्रकार है:

(क) भारतीय खाद्य निगम टीपीडीएस के साथ-साथ भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए सब्सिडी ।(रुपये 103334.61 करोड़)।

(ख) राज्य सरकारों को सब्सिडी का भुगतान किया जाता है, जो खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद कर रहे हैं। (रुपये 27000.00 करोड़)।

(ग)भारत सरकार उन राज्य सरकारों को, जो खुदरा निर्गम मूल्य को रुपये 13.50 प्रति किलो की दर पर जारी रखें हुए हैं, रुपये 18.50 प्रति किलो की दर से वर्तमान आबंटन की मात्र के लिए चीनी पर सब्सिडी प्रदान करेगी। भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति वर्तमान आवंटन के स्तर तक की मात्र तक सीमित होगी। (रुपये 4500.00 करोड़)।

3.02. **भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध में अपनी नकद धन की प्रवाह आवश्यकताओं की पूर्ति, बफर स्टॉक आवश्यकताओं और खाद्यान्न के रखरखाव हेतु अर्थोपाय अग्रिम है। इस अग्रिम को उसी वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया जाएगा।

4. **राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र को सहायता ::** यह प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के रखरखाव, अंतर्राज्यीय संचलन और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए है।

5. **खाद्य तेल के आयात पर सब्सिडी - विगत देयताएं:** यह प्रावधान खाद्य तेल राजसहायता के बकाये का 3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भुगतान करने के लिए है जिन्होंने 'राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्य तेल का आयात करने की योजना, जिसमे भारत सरकार से 15 रुपये प्रति किलो राजसहायता सामिल है' के तहत खाद्य तेलों का आयात किया था ।

6.01. **चीनी विकास निधि को अंतरण:** चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत भारत की समेकित निधि में जमा करने के लिए चीनी के उत्पादन पर उपकर लगाने की व्यवस्था है, जो की 1 फरवरी, 2016 से 124 रुपए प्रति क्विंटल है । चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में एकत्रित उपकर में से इसकी एकत्रण लागत घटाकर बची राशि के बराबर को चीनी विकास निधि में जमा कराने की व्यवस्था है जिसका उपयोग ऋण अनुदान देकर और चीनी उद्योग के विकास से संबंधित अन्य खर्च पूरे करके चीनी उद्योग के विकास और उससे संबंधित मामलों अथवा उससे संबंधित प्रासंगिक खर्चे को पूरा करने के लिए किया जाना है। भारतीय लोक लेखा के अंतर्गत चीनी विकास निधि को भारत की समेकित निधि से उपर्युक्त विधि से आकलित राशि अंतरित करने और निधि से आहरण की व्यवस्था है।

6.02.01. **चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/चीनी विकास निधि से संबंधित अन्य व्यय:** यह व्यय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है और इसमें चीनी मिलों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान भी शामिल है।

6.02.02. **चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए ऋण:** यह व्यय चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए रियायती ऋण देने के लिए है और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

6.02.03. **गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण:** यह प्रावधान गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने के लिए है और इसकी पूर्ति चीनी विकास निधि से की जाती है।

6.02.04. **खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने हेतु हैं और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

6.02.05. **एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने के लिए किया गया है और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

6.02.06. **चीनी इकाईयों को वित्तीय सहायता देने हेतु स्कीम, 2014:** रु 800 करोड का प्रावधान सभी भागीदार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों और सहाकरी बैंकों को चीनी कारखानों की हालत में सुधार करने के मद्देनजर, उन्हें पूर्व में चीनी मौसमों के बकाया को चुकाने और केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना किसानों के लिए नियत उचित और लाभप्रद मूल्य संबंधी गन्ना मूल्यों का समय पर निपटान करने के लिए ब्याज से बचने के लिए है। सामान्य बैंकिंग प्रथा के अनुसार ब्याज सब्वेंशन, जिसकी सीमा 12 प्रतिशत वार्षिक है, लोन की अवधि के लिए ही है। जो मोरेटोरियम के दो वर्ष सहित पांच वर्ष है। इस व्यय को चीनी विकास निधि से पूरा किया जाएगा।

6.02.07. **कच्ची चीनी के उत्पादन हेतु विपणन और संवर्धन सेवाओं पर प्रोत्साहन:** यह प्रावधान उन शुगर मिल्स जिन्होंने 28.02.2014 के बाद कच्ची चीनी का उत्पादन और निर्यात किया है, को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है ताकि चीनी मिल्स किसानों को गन्ने की कीमत का बकाया भुगतान करने के स्थिति में हों ।

6.02.08. **शुगर मिलों को रियायती ऋण सहायता देने सम्बन्धी योजना, 2015 के लिए ब्याज सहायता:** यह प्रावधान चीनी सत्र 2014-15 के लिए गन्ना किसानो के बकाया राशि का भुगतान करने के लिए चीनी उद्योग को सॉफ्ट लोन प्रदान करने के लिए है। सरकार ने इस ऋण के लिए एक वर्ष का स्थगन प्रदान किया है और वह इस ऋण पर 10 प्रतिशत तक ब्याज सहायता लागत वहन करेगी, जो की नोडल बैंक को अग्रिम के रूप में प्रदान किया जाना है। इस निधि को चीनी विकास निधि से पूरा किया जाएगा।

6.02.09. **चीनी मिलों को गन्ने के लागत क्षतिपूर्ति और किसानों को गन्ना मूल्य देयों का समय पर भुगतान सरल बनाने के लिए उत्पादन सब्सिडी:** चीनी उत्पादन के लिए पेराई किये गए गन्ने पर चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद पर आई लागत की भरपाई करने के लिए 4.50 रू. प्रति क्विंटल की दर से उत्पादन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस सब्सिडी को मिलों की ओर से किसानों को सीधे भुगतान किया जायेगा और पिछले वर्षों के बकायों सहित उचित और लाभकारी कीमत (एफ. आर. पी.) के रूप में किसानों को गन्ना मूल्य देयों के भुगतान हेतु समायोजित किया जायेगा। इसके बाद बची हुई धनराशि, यदि कोई हो तो, मिल के खाते में जमा की जाएगी।

7. **भण्डारण विकास और विनियामक प्राधिकरण और खाद्य और भंडार से संबंधित अन्य प्रोग्राम:** (क) योजना प्रावधान, भण्डारण विकास और विनियामक प्राधिकरण जो की भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, को अनुदान सहायता-वेतन एवं आईटी सक्षम प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और परक्राम्य भण्डागार रसीदों के ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के विकास पर होने वाले व्यय और स्थापना व्यय के लिए अनुदान सहायता-सामान्य प्रदान करने के लिए है।

(ख) गैर-योजना प्रावधान में निदेशन और प्रशासन (शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला, गुण नियंत्रण कक्ष), अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद/अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद) के लिए प्रावधान शामिल है।

8. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:** यह प्रावधान:

(क) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं जैसे प्रशिक्षण और टी.पी.डी.एस. लाभभोगियों में जागरूकता लाने के लिए है।

(ख) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लिए है।

(ग) खाद्य श्रृंखला और खाद्यान्नोंक की गुणवत्ता विनिर्देशन में लगे कर्मचारियों के गुणवत्ता कौशल को मजबूत बनाने से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।

(घ) घरेलू/वैश्विक बाजारों में खाद्यान्न से संबंधित अनुसंधान / निगरानी के लिए सलाहकार के भुगतान और विभाग में ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

(ड.) राज्य सरकारों व संघ शासित राज्यों की सरकारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अधिसूचना राज्य खाद्य आयोग की नॉन बिल्डिंोग आस्ति्यों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

9. **भंडारण और गोदाम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान के साथ भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए है।